राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या :– 18/22/245 दिनांक :–16.10.2019

एकलपीठ

समक्षः–माननीय अध्यक्ष, जस्टिस प्रकाश टाटिया

एक महिला सुश्री सरोज, कानिस्टेबल, बेल्ट नम्बर 2759 का चयन पुलिस सेवा में होने पर उसे परिवीक्षाधीन काल में जिला जोधपुर में दिनांक 16.12.15 को नियुक्ति दी गई। सुश्री सरोज द्वारा राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर में उपस्थित होकर दिनांक 27.11.17 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें सुश्री सरोज की शादी बाल्यकाल में ढ़ाई वर्ष की आयु में परिवार वालों द्वारा किया जाना बताया गया। सुश्री सरोज द्वारा यह भी बताया गया कि यह बात उसके परिवार वालों द्वारा उसे बताई गई तथा सुश्री सरोज के परिवार वाले सुश्री सरोज पर दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती उस लडके के साथ भेजना चाहते है, जिस लडके को वह जानती भी नहीं है तथा जिसके साथ सुश्री सरोज जाना भी नहीं चाहती है। सुश्री सरोज के मना करने पर जोर जबरदस्ती व जान से मारने की धमकीयां भी उसे दी गई। सुश्री सरोज ने राजस्थान राज्य महिला आयोग में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सुश्री सरोज को उसके परिवार वालों से सुरक्षा प्रदान कराई जावें। सुश्री सरोज के अनुसार वह स्वयं 24 वर्ष की हो चुकी है तथा स्वयं के भविष्य का निर्णय स्वयं ले सकती है तथा बाल्य अवस्था में हुई शादी जिसका उसे पता नहीं है, स्वीकार नहीं करती है। सुश्री सरोज ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.17 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि उसके परिवार के लोगों से उसे जान का खतरा है और उसके साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, यह लोग उसके पीछे लगे हुए है। सुश्री सरोज के अनुसार यह लोग स्वयं या अन्य से भी उसके ऊपर हमला करवा सकते है। सुश्री सरोज ने अपने परिवार के नामजद व्यक्तियों से खतरा होना बताया व सुश्री सरोज ने पिता सांवताराम, चाचा पुखराम, उपनिरीक्षक पुलिस एवं भाई शिव लाल, हैड कानि0, राजेन्द्र, मगराज व हरचन्दराज आदि पर आरोप लगाये है तथा इन व्यक्तियों को जिनमें पुलिसकर्मी परिवार के सदस्य है उन्हे भी पाबन्द करवानें की प्रार्थना की गई। सुश्री सरोज जो कि पुलिस सेवा में दिसम्बर, 2015 में नियुक्त हुई थी, दो वर्ष पश्चात दिनांक 27.11.17 को राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर में लिख कर दे रही है कि इन परिस्थितियों में उसे नौकरी पर जाने पर भी खतरा है और उसके पास छुट्टीयां भी नहीं है। सुश्री सरोज द्वारा अपनी ड्यूटी किसी सुरक्षित स्थान पर लगाने की प्रार्थना की गई।

राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर के पत्र दिनांक 01.12.2017 से आरोपीयों को पाबन्द किया गया कि सुश्री सरोज को तंग व परेशान नहीं करें तथा उसकी स्वतंत्र निजी जिन्दगी में दखल नहीं करें।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पीड़िता द्वारा थानाधिकारी, महिला थानापूर्व जोधपुर महानगर से अपने स्वास्थ्य के आधार पर प्रार्थना पत्र दिनांक 24.11.17 से तीन दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर उपरोक्त भय के कारण से स्वयं की सुरक्षा प्राप्त करने के लिये राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर पहुंची व राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर से अन्तरीम आदेश भी प्राप्त कर चुकी थी। सुश्री सरोज द्वारा जयपुर में स्वाधार गृह 'शक्ती स्तम्भ' 'रूवा' जनता कॉलोनी, जयपुर में अगले ही दिन दिनांक 28.11.17 को अपने परिवार से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु उक्त गृह में प्रवेश देने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुश्री सरोज को उक्त गृह द्वारा दिनांक 28.11.17 को ही प्रवेश दिया जाना प्रतीत होता है। सुश्री सरोज के परिवार को इन तथ्यों की जानकारी होने पर सुश्री सरोज का हैड कानि0 भाई शिवलाल जयपुर आया और एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.17 को प्रस्तुत किया। हैड कानि0 शिवलाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.17 में उक्त गृह के अध्यक्ष को लिखित में आश्वासन दिया गया किः–

> मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरोज को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा और न ही उसके ऊपर ससुराल जाने का दबाव डाला जायेगा सरोज की इच्छा के विरूद्ध जाकर कोई काम नहीं करेगें। सरोज तलाक लेना चाहती है पुखराज के साथ समझाईस कर आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करवानें की पुरी कोशिश करेगें।
>
> दिनांकः–04.12.17
>
> (शिवलाल एच0सी0 174)
> पुत्र सांवताराम
> (36/311 पुलिस क्वार्टर)
> जोधपुर आयुक्तालय
> 9414918382/8764860700

इस लिखित अण्डरटेंकिग के आधार पर सुश्री सरोज को दिनांक 04.12.17 को उसके हैड कानि0 भाई शिवलाल के साथ जाने की अनुमति दी गई और सुश्री सरोज द्वारा अध्यक्ष, गृह को अपनी स्वैच्छा प्रस्तुत की गई । अतः सुश्री सरोज उपरोक्त शक्ती भवन में अपने परिवार से सुरक्षा के लिये पुलिसकर्मी होते हुए दिनांक 28.11.17 से 04.12.17 तक रही तथा सुश्री सरोज के हैडकानि0 भाई शिवलाल द्वारा 'शक्ती स्तम्भ' गृह के अध्यक्ष के समक्ष लिखित में स्वीकार किया गया कि सुश्री सरोज अपने बाल्यकाल के विवाह को स्वीकार नहीं करती है तथा पीड़िता सुश्री सरोज के हैडकानि0 भाई द्वारा यह भी लिखित में दिया गया कि सुश्री सरोज तलाक लेना चाहती है और पुखराज के साथ समझाईश कर आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने की कोशिश करेगें, यह लिखित अण्डर टेकिंग दिनांक 04.12.17 की है। **इस अण्डरटेंकिग के तहत सुश्री सरोज को हैड कानि0 शिवलाल द्वारा जोधपुर लाया गया और उसके पश्चात सुश्री सरोज दिनांक 10.01.18 को परिवार के सदस्यगण घर पर मौजूद थे, उस समय पंखे से फंदे पर लटकी पायी गई। इस घटना से संबंधित एक रिपोर्ट दिनांक 11.01.18 समय 12.57 बजें सुश्री**

सरोज के भाई श्री राजेन्द्र द्वारा पुलिस थाना औसियां में दर्ज कराई गई। इस संक्षिप्त रिपोर्ट दिनांक 11.01.18 से यह सूचना दी गई कि सुश्री सरोज जोधपुर से पिछले दो–तीन दिन से गांव आयी हुई थी और दिनांक 10.1.18 को लगभग 5 बजें कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली। इस मृत्यु का कारण मृतका के भाई राजेन्द्र द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार से अंकित किया है कि सुश्री सरोज पुलिस में भर्ती होने के बाद काफी समय से दिमागी रूप से अस्वस्थ थी। बाकि हमें किसी प्रकार का कोई शंकशुबा नहीं है। कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस रिपोर्ट पर मर्ग संख्या 1/18 धारा 174 सीआरपीसी में दर्ज करने की टिप्पणी संबंधित थाना अधिकारी द्वारा अंकित की गई व इस सूचना की प्रतिलिपि जांच हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट, एसडीएम औसियां को प्रेषित की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर आये तथ्यों के अनुसार पीड़िता जिसका बाल विवाह हो गया उसका मुकलावा (गौना) दिनांक 13.10.17 को किया गया था व पीड़िता सुश्री सरोज अपने ससुराल में दो दिन से कम समय के लिये रही व उसके बाद अपने ससुराल कभी नहीं गई। **पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उपरोक्त सुश्री सरोज का एक व्यक्ति श्री हेमन्त मोहनपुरिया पुत्र ओमप्रकाश मोहनपुरिया, गली नम्बर–2, संत रविदास नगर, भदवासिया, जोधपुर से लगभग 09 वर्ष से प्रेम संबंध स्थापित थे और जिसका मृतका सुश्री सरोज के परिवार वालों द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था।** अतः परिवादिया का जोधपुर से राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर में दिनांक 27.11.17 को चले जाने के बाद **स्वयं प्रार्थीया के भाई शिवलाल हैड कानि0 के द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 390 दिनांक 28.11.17 पुलिस थाना रातानाड़ा, जोधपुर शहर, पूर्व में दर्ज कराकर यह आरोप लगाया गया कि उक्त हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा सुश्री सरोज को बहला–फुसला कर शादी करने की नियत से भगा कर ले गया है और भगाने में उसका भाई सोनू भी शामिल है।** इस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 390/17 दिनांक 28.11.17 के अनुसंधान के दौरान सुश्री सरोज के धारा 164 सीआरपीसी में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाये गये। **अपने बयानों में सुश्री सरोज द्वारा स्पष्ट कहा गया कि उसका गौना दिनांक 13.10.17 को होने पर उसने अपने बाल्यकाल के पति पुखराम को पहली बार देखा, जो अनपढ़ भी है व सुश्री सरोज उसके साथ रहना नहीं चाहती है। परन्तु सुश्री सरोज के घर वाले पुखराज के साथ उसे रखने के लिये जबरदस्ती कर रहे है। इस कारण से वह तीन दिन का अवकाश लेकर जयपुर चली गई। वह अपनी इच्छा से राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर पहुंची व नारी निकेतन में रही।** सुश्री सरोज ने यह भी स्वीकार किया कि वह नारी निकेतन से अपने भाई शिवलाल हैड कानि0 के साथ आ गई तथा **इन्कार किया कि उसे हेमन्त शादी के लिये बहला–फुसला कर ले गया था।** सुश्री सरोज ने स्वीकार किया कि वह अपनी इच्छा से घर से चली गई थी। सुश्री सरोज के इन बयानों के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 390/2017 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा नतीजा एफ.आर. अदम वकू तथ्य की भूल में न्यायालय में पेश की गई।

श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा सुश्री सरोज की अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर एक विस्तृत अभियोग दर्ज कराया गया। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17/18 दिनांक 20.01.18 दर्ज किया गया। **श्री हेमन्त**

मोहनपुरिया के अभियोग को धारा 306 भादंसं में दर्ज किये जाने पर श्री हेमन्त मोहनपुरिया को आपत्ति थी और श्री हेमन्त मोहनपुरिया का आरोप था कि उसके स्वर्गीय सुश्री सरोज के साथ गत 09 वर्ष से प्रेम संबंधों से नाराज होकर सुश्री सरोज के परिवार वालों द्वारा सुश्री सरोज की हत्या की गई है। इस आपत्ति के कारण से श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को एक विस्तृत प्रतिवेदन पूर्व में दिनांक 12.01.18 को प्रेषित किया गया व आयोग में अपनी शिकायत दिनांक 20.01.18 को प्रेषित की गई। परन्तु जैसा की ऊपर अंकित है श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा दिनांक 22.01.18 को दर्ज कराया गया अभियोग संख्या 17/18 में दर्ज किया गया।

श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा जनवरी, 2018 में अपराध गठित होने की सूचना पुलिस/महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को दिये जाने के आधार पर अभियोग संख्या 17/18 दिनांक 22.01.18 को दर्ज किये जाने के पश्चात सुश्री सरोज के हैड कानि0 भाई शिवलाल द्वारा एक इस्तगासा माननीय न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, औसियां की अदालत में पेश किया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत जांच हेतु पुलिस थाना औसियां को भिजवाया गया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोग दर्ज कराने वाले श्री शिवलाल स्वयं एक हैडकानि0 है और इनके द्वारा स्वयं रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई जाकर घटना के एक माह से अधिक समय पश्चात न्यायालय से इस्तगासा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अभियोग संख्या 29/18 पुलिस थाना औसियां में दर्ज किया गया। **श्री शिवलाल हैडकानि0 द्वारा 'शक्ती स्तम्भ' गृह जयपुर में लिखित में दिया गया है कि सुश्री सरोज जिसका विवाह पूर्व में पुखराज के साथ हुआ है। उसके साथ सरोज नहीं रहना चाहती है व उसके विवाह विच्छेद के लिये समझाकर प्रयास किया जायेगा।** श्री शिवलाल हैडकानि0 द्वारा अभियोग संख्या 29/18 में उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अंकित किया है कि उसकी बहिन सरोज का विवाह हुआ तब उसने शादी के सारे सामान, गहने, कपड़े आदि अपनी इच्छा से पसन्द कर खरीदे थे और उसका गौना उसकी पूर्ण रजामन्दी से हुआ था और इससे स्पष्ट है कि श्री हेमन्त मोहनपुरिया से प्रेम करती तो अपनी इच्छा से गौना नहीं करती व शादी की खरीददारी भी नहीं करती। यही नहीं **श्री शिवलाल हैडकानि0 द्वारा अपने स्तर से यह भी स्वीकार किया गया कि सरोज जब 10 वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी व इस दौरान उसके चाचा पुखराज जी के घर पर रहती थी। उस समय सुरोज व हेमन्त की जान पहचान हो गई और यह भी आरोप लगाया कि सरोज की नाबालिगी में उसके कुछ फोटो श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा ले लिये गये और सरोज का शारिरीक शोषण शुरू कर दिया गया तथा श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा सरोज को 09 वर्ष से ब्लैकमेल किया जाता रहा।**

यही कथन श्री हेमन्त मोहनपुरिया का है कि उसके प्रेम संबंध सुश्री सरोज के साथ 09 वर्ष से थे। सुश्री सरोज अपने बाल विवाह को स्वीकार नहीं करती थी। दिनांक 13.10.17 को सरोज के गौना करने के दो दिन पश्चात सरोज वापिस अपने पीहर आ गई और फिर कभी अपने पति के घर नहीं गई। अन्य तथ्यों को विस्तार से रखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पुलिस हैडकानि0 शिवलाल मृतका के भाई का अभियोग संख्या 29/18 शिवलाल के दूसरे भाई द्वारा सुश्री सरोज की मृत्यु के दूसरे दिन दर्ज कराई गई मर्ग रिपोर्ट संख्या 01/18 के विरूद्ध भी है तथा

उपरोक्त शिवलाल द्वारा दर्ज कराई गई अभियोग संख्या 29/18 में बाद अनुसंधान एफ0आर0 संख्या 02/2019 दिनांक 07.02.19 को न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

इसके साथ ही श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 17/18 में बाद अनुसंधान मृतका के भाई हैडकानि0 शिवलाल व माता राधा देवी के खिलाफ जुर्म धारा 306, 201 भादंसं के अन्तर्गत दिनांक 30.07.19 को न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है।

साधारणतया जब किन्ही अभियोगों में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है तब आयोग, ऐसे प्रकरणों को राज्य मानव अधिकार आयोग विनियम 2001 के नियम 9 (ज) के तहत समाप्त कर देता है। इस प्रकरण में आयोग के समक्ष परिवादी श्री हेमन्त मोहनपुरिया उसके अभियोग संख्या 17/18 में किये गये अनुसंधान से अगर सन्तुष्ट नहीं है तो परिवादी श्री हेमन्त मोहनपुरिया सक्षम न्यायालय में उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है। इस टिप्पणी के साथ परिवादी श्री हेमन्त मोहनपुरिया का प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आयोग द्वारा इस प्रकरण में तथ्यों को विस्तार से लिखने अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है कि आयोग द्वारा परिवादी श्री हेमन्त मोहनपुरिया के परिवाद पर यह प्रकरण दर्ज किया जाकर विषय की गम्भीरता को देखते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट संबंधित अनुसंधान अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त से मंगवाना उचित नहीं समझ कर **तथ्यात्मक रिपोर्ट महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर से तलब की गई।** जैसा पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली है आयोग के इस आदेश के पश्चात प्रतीत होता है कि **महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर को आयोग में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया होगा।** अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 03.12.18 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक माह का अतिरिक्त समय देने का निवेदन किया गया और उसके पश्चात **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर के कार्यालय के पत्र दिनांक 02.05.18 के साथ जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण की रिपोर्ट की प्रतिलिपि बिना अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर की किसी टिप्पणी के आयोग को अग्रेषित कर दी गई।**

अतः महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, (मानव तस्करी विरोधी), राजस्थान, जयपुर का कार्य मात्र आयोग की डाक प्राप्त करने व अन्य अधिनस्थ अधिकारी को अग्रेषित करने व उस अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारी को अग्रेषित करने व सम्भव है कि उस अधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ को रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकृत करने तथा जैसी भी रिपोर्ट इस अधिकारी द्वारा बनाई गई है, उसे प्राप्त कर ऊपर भिजवाना व और ऊपर भिजवाना और उसके ऐसी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करना मात्र है। इस दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा यह भी नहीं पढ़ा जाता है कि आयोग का आदेश क्या है ? आयोग द्वारा चाहा क्या गया है तथा अधिनस्थ, अधिनस्थ के अधिनस्थ व उसके अधिनस्थ अधिकारी द्वारा क्या रिपोर्ट तैयार की गई है ? इसे भी भी नहीं देखा जाता है।

अतः इसकी सजा स्वयं पुलिस कर्मियों को भुगतनी पड़ती है, जब वह एक साधारणजन की तरह समाज में फैली घृणित से घृणित बुराई से पीड़ित होकर सजा प्राप्त करते है और अपना जीवन तक गंवा देते है। आयोग के समक्ष पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस कर्मियों के मानव अधिकार हनन करने के प्रकरण प्राप्त होते रहे है। परन्तु आयोग की राय में यह एक प्रकरण ऐसा गम्भीर प्रकरण है जिसके लिये आयोग द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपना पहले आदेश दिनांक 21.06.19 में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं एक महिला कानिस्टेबल की अप्राकृतिक मृत्यु की परिस्थितियों का विस्तार से उल्लेख कर यह तथ्य अंकित करने पड़े कि :–

> **उपर्युक्त तथ्यों से न सिर्फ (1) सम्पूर्ण अनुसंधान दूषित प्रतीत होता है, (2) अपितु इससे यह भी प्रकट होता है कि मृतका के जीवन की रक्षा में स्थानीय पुलिस द्वारा जानबूझ कर भारी लापरवाही की गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायलय के शक्तीवाहिनी प्रकरण में दिये गये निर्णय के पद संख्या 55.3.1 के तहत प्रथम दृष्ट्या गम्भीर सेवादोष व गम्भीर लापरवाही करते हुए इस विषय की प्रशासन को जानकारी नहीं देकर व इसका अनुसंधान दोषियों के विरूद्ध, मृतका को प्रताड़ित करने वालों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही नहीं कर पुलिस के उच्चाधिकारियों को अगर सूचना नहीं दी गई है तब स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम दृष्ट्या परोक्ष रूप से अपराधियों का सहयोग किया गया है। यह विषय भी तत्काल जांच का विषय है, जिस पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर तुरन्त जांच करें।**

“ऑर्नर किलिंग” के नाम पर कितने ही सख्त, प्रभावी व बाध्यकारी न्यायालयों के निर्णय के पश्चात भी और कोर्ठ नहीं बल्कि एक महिला पुलिस कानिस्टेबल को स्थानीय पुलिस की जानकारी में और महिला पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्य स्थानीय पुलिस में होते हुए भी तथा तथ्यों की जानकारी स्थानीय पुलिस को होते हुए भी और महिला पुलिस द्वारा अपने परिवार से उसके ऊपर होने वाले गम्भीर अपराध की आशंकाओं से बचने हेतु अनेकों वर्षो तक प्रयत्न करने के पश्चात भी राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर के समक्ष सम्पूर्ण तथ्य रख दिये गये और उसके पश्चात भी उक्त पीड़ित महिला कानिस्टेबल द्वारा जोधपुर से जयपुर आकर एक महिला गृह में शरण ली गई और दिनांक 28.11.17 से 04.12.17 तक स्वयं की सुरक्षा के लिये महिला गृह में भी रहना पड़ा और उसके पश्चात भी उसे अपने स्वयं के हैडकानि0 पुलिस भाई शिवलाल की लिखित अण्डरटेकिंग के पश्चात भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कानून में ऐसे प्रकरण में भी अभियोग दर्ज कर अभियोग का अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश कर जो अपराध कारित हुआ है उसकी सजा दिलाई जा सकती है। **अर्थात “ऑर्नर किलिंग” में आत्महत्या की जाये तब हत्या की सजा और अत्यन्त समझदार व्यक्तियों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जावें कि पीड़िता स्वयं अपनी जान ले लेवें तो यह हत्या नहीं होकर आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरण है।** भले ही चाहे इस प्रकार के कृत्य करवानें हेतु आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव के प्रयत्न किये जावे तो भी यह आत्महत्या ही होगी, हत्या नहीं होगी। हो सकता है पुलिस प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लगभग स्वयं से हत्या करवाना या आत्महत्या के लिये

दुष्प्रेरित करने में कोई फर्क नहीं है, यह माना जाये। क्योकि यह विधि के प्रावधान है और विधि के प्रावधानों में क्या कमी है और क्या सुधार होने चाहिये जिससे की अपराधियों को उनके किये की सजा कम मिलती है, तो सुधार किये जाकर उचित दण्ड दिलाने का प्रावधान किया जावें। इसी कारण से महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर व अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानव तस्करी विरोधी, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 21.06.2019 में की गई इस टिप्पणी पर अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया है। टिप्पणी इस प्रकार है :–

> उपर्युक्त तथ्यों से न सिर्फ (1) सम्पूर्ण अनुसंधान दूषित प्रतीत होता है, (2) अपितु इससे यह भी प्रकट होता है कि मृतका के जीवन की रक्षा में स्थानीय पुलिस द्वारा जानबूझ कर भारी लापरवाही की गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायलय के शक्तीवाहिनी प्रकरण में दिये गये निर्णय के पद संख्या 55.3.1 के तहत प्रथम दृष्ट्या गम्भीर सेवादोष व गम्भीर लापरवाही करते हुए इस विषय की प्रशासन को जानकारी नहीं देकर व इसका अनुसंधान दोषियों के विरूद्ध, मृतका को प्रताड़ित करने वालों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही नहीं कर पुलिस के उच्चाधिकारियों को अगर सूचना नहीं दी गई है तब स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम दृष्ट्या परोक्ष रूप से अपराधियों का सहयोग किया गया है। यह विषय भी तत्काल जांच का विषय है, जिस पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर तुरन्त जांच करें।

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर द्वारा ऊपर वर्णित निर्देश के अनुसार अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया है। आयोग द्वारा उठाया गया उपरोक्त बिन्दु सरसरी तौर पर खारिज भी किया जा सकता है अथवा इसे व्यवहारिक भी नहीं माना जा सकता। **परन्तु ऐसा पक्ष रखने के लिये एक सक्षमता होनी चाहिये। ऐसी सक्षमता के लिये पुलिस विभाग सम्पूर्ण से आयोग यदि कोई आशा रखता है, तो गलत है।**

जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है कि परिवादी श्री हेमन्त मोहनपुरिया द्वारा प्रस्तुत अभियोग में अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है यदि परिवादी अनुसंधान से सन्तुष्ट नहीं हो तो सक्षम न्यायालय में उचित कार्यवाही कर सकेगा। महिला कानि0 सुश्री सरोज की बाल्यकाल में शादी, जबरदस्ती गौना करवानें, महिला कानि0 सुश्री सरोज द्वारा अपने बचाव हेतु कई वर्षों तक प्रयत्न करने व उसके पश्चात राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर में उचित सहायता व आदेश प्राप्त करने के साथ, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को अपने पत्र दिनांक 27.11.17 से पीड़िता सुश्री सरोज को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश देने के पश्चात और राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा सुश्री सरोज के बालविवाह के ससुराल नहीं जाने पर परिवार वालों द्वारा जान से मारने की धमकी की सूचना देने के पश्चात भी **राज्य का पुलिस प्रशासन एक 24 वर्षीय युवती जिसे पुलिस सेवा में नौकरी भी प्राप्त हो चुकी थी, उसके जीवन की रक्षा करने में पुरी तरह नाकाम रहा।**

अतः संबंधित पुलिस थाने में जिन–जिन पुलिसकर्मियों द्वारा अभियोग संख्या 390/2017, अभियोग संख्या 17/18 अभियोग संख्या 29/18 के अनुसंधान के दौरान महिला पुलिसकर्मी सुश्री सरोज व श्री हेमन्त मोहनपुरिया को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रहे तथा राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा सुश्री सरोज के परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या तक करने का अंदेशा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर तक को पहुंचा दिये जाने के पश्चात भी महिला कानि0 सुश्री सरोज के जीवन की रक्षा नहीं करने एवं श्री हेमन्त मोहनपुरिया को सुरक्षा प्रदान नहीं करने के कारण से दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही की जावें व यथा सम्भव विधिनुसार दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध यदि किसी प्रावधान के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है तो आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावें।

श्री हेमन्त मोहनपुरिया जिसके द्वारा अगर सुश्री सरोज की अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में अभियोग दर्ज नहीं कराया जाता तो शायद न्याय की हत्या हो जाती। अतः श्री हेमन्त मोहनपुरिया को राज्य सरकार हर्जाने के रूप में 1,00,000/– (एक लाख रूपयें) इस आदेश/अनुशंषा के एक माह के भीतर भुगतान करावें। श्री हेमन्त मोहनपुरिया को यह हर्जाना पुलिस की जानकारी होने के बावजूद कई वर्षो तक प्रताड़ित होने के कारण से मात्र टोकन राशि के रूप में दिलाये जाने का निर्देश दिया गया है।

सुश्री सरोज के ऐसे विधिक उत्तराधिकारी नहीं है जिन्हे सुश्री सरोज के सभी प्रकार के प्रयत्नों के पश्चात अन्तिम कदम के रूप में स्वयं की जान लेनी पड़ी, इस अपूर्णीय क्षति का हर्जाना दिलाया जा सके। सुश्री सरोज के साथ जो अमानवीय अत्याचार हुए और उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई इसका हर्जाना प्राप्त करने हेतु कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण हर्जाना नहीं दिलाया जा सकता है।

अन्त में शिक्षा, नौकरी एवं पुलिस की नौकरी से भी महिलाओं के मानव अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसी टिप्पणी के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(जस्टिस प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष